



E-mail: jalnigam.mussoorie@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा

फोन : 0135-2736032

फैक्स : 0135-2733132

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून - 248003

पत्रांक

810 / वन- भूमि / 36

दिनांक 2-06-2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय : जनपद देहरादून के मसूरी स्थित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत (आरकेडिया जोन) में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.020 हे0 नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यार्पितन का प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/27134/2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मसूरी सीवरेज योजना अन्तर्गत आरकेडिया जोन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 निर्माण हेतु वांछित 0.02 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव पर आपके द्वारा ऑन लाईन लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है।

क्र0स0.	आपत्ति	निराकरण
1	FRA Certificate provided in the format prescribed for linear projects though this project is non linear in nature. The user agency may upload/provide revised FRA certificate in format prescribed for non linear projects.	FRA Certificate non linear format में भरकर प्रस्तुत किया जा रहा है।
2	A.1-iii Does not contain brief narrative.	Brief narrative of project uploaded online on point A.1-iii.
3	Please fill details for Employment likely to be generated in serial no E	Generated Employment Filled.
4	Village wise breakup is not filled properly. Details of area for each village should be mentioned through which the proposed road is passing.	उक्त प्राईवेट नोटिफाईड वन भूमि आरकेडिया जोन में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित स्थल मसूरी नगरपालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जो विभिन्न जोनों में विभाजित है। अतः तदनुसार क्षेत्रफल का विवरण भरा गया है।
5.	Please provide VLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet along with FRA, according to filled details in B-2.3 - village wise breakup	उक्त प्रस्तावित क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। अपितु मसूरी नगरपालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। तदनुसार वी0एल0सी0 के स्थान पर अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न है।
6.	Please upload a Copy of M.	उपरोक्त आपत्तियों में वांछित दस्तावेजों को तदनुसार अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय

1/6
22/06/18
अधिशासी अभियन्ता

Van bhomi

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।